

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :- 84/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/131

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
मुसे खां पुत्र हाजीखान जाति मुसलमान निवासी बड़नावा जागीर तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा		1.अहमद खां पुत्र हैदरखां 2.आसीन खां पुत्र हैदरखां 3.मनी मोहम्मद पुत्र हैदरखां 4.नूर मोहम्मद पुत्र हैदरखां 5.पठान खां पुत्र हैदरखां 6.मिश्रो पुत्र हैदरखां 7.मदीना पुत्री हैदरखां 8.रहीम खां पुत्र हैदरखां जाति मुसलमान निवासी सिंधियो की ढाणी तहसील पचपदरा 9.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा वर्तमान तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-


1. श्री जेटूलाल कुमावत अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री संजय नाहर अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 से 8
3. विप्रार्थी संख्या 09 अनुपस्थित।



आदेश

दिनांक 09.05.2025

1.संक्षिप्त में आवेदन-पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सिंधियो की ढाणी तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 1750/113 रकबा 4.03.06 बीघा भूमि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 8 की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित थी। तत्पश्चात सह खातेदारान द्वारा आपसी सहमति के आधार पर बंटवाड़ा करवाए जाने पर खसरा संख्या 1828/1750 प्रार्थी की खातेदारी एवं खसरा संख्या 2151/1829 विप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज हुए तथा बंटवाड़ा के संलग्न नक्शानुसार रेकर्ड में तरमीम किए जाने के बजाय उसके विपरीत लट्ढा नक्शा में तरमीम कर दी गई। जिसके कारण मौका स्थिति को लेकर पक्षकारान के मध्य आई दिन विवाद बना रहता है। अतः प्रार्थी का


उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि की विदयमान तरमीम को निरस्त किया जाकर मौका कब्जा स्थिति एवं परिशिष्ट अ नजरी नक्शा मुताबिक तरमीम दुरुस्ती करवाने हेतु आवेदन-पत्र पेश किया गया।

2. प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्री नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री संजय नाहर द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 से 8 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया तथा प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार किए जाने पर अनापति की गई। विप्रार्थी संख्या 09 की ओर से मौका रिपोर्ट पेश की गई।

3. हमने उभयपक्ष अधिवक्तो की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि ग्राम सिंधियो की ढाणी तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 1750/113 रकबा 4.03.06 बीघा भूमि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 8 की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित थी। तत्पश्चात सह-खातेदारान द्वारा आपसी सहमति के आधार पर बंटवाड़ा करवाए जाने पर खसरा संख्या 1828/1750 प्रार्थी की खातेदारी एवं खसरा संख्या 2151/1829 विप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज हुए तथा बंटवाड़ा के संलग्न नक्शानुसार रेकर्ड में तरमीम किए जाने के बजाय उसके विपरीत लटढा नक्शा में तरमीम कर दी गई। जिसके कारण पक्षकारान के मध्य विवाद की स्थिति पैदा हो गई। जबकि सहमति बंटवाड़ा अनुसार खसरा संख्या 1828/1750 की रोड़ पर 268 फुट एवं खसरा संख्या 2151/1829 की रोड़ पर 126 फुट आती है, लेकिन लटढा नक्शा में गलत तरमीम किए जाने के कारण खसरा संख्या 1828/1750 की रोड़ पर 289 फुट एवं खसरा संख्या 2151/1829 की रोड़ पर 105 फुट आ रही है, जो कि मौका स्थिति अनुरूप तरमीम नहीं किए जाने के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। अंत में निवेदन किया कि विवादित आराजी की तरमीम मौका रिपोर्ट के मुताबिक दुरुस्त की जाती है, तो प्रार्थी को आपति नहीं है।

4. विप्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी व विप्रार्थी की खातेदारी भूमि की तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा मौका स्थिति के विपरीत लटढा नक्शा में गलत तरमीम की गई। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि मौका रिपोर्ट मुताबिक तरमीम दुरुस्ती की जाती है, तो विप्रार्थी को आपति नहीं है।

5. हमने उभयपक्ष अधिवक्तो की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम सिंधियो की ढाणी तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1828/1750 क्षेत्रफल 0.5059 हैक्टर प्रार्थी की खातेदारी एवं खसरा संख्या 2151/1829 क्षेत्रफल 0.2946 हैक्टर विप्रार्थी संख्या 1 से 8 की खातेदारी में अवस्थित है। जो मूल खसरा संख्या 1750/113 से विभक्त होकर वर्तमान खसरान कायम हुए है। मौका रिपोर्ट एवं वर्तमान तरमीम नक्शा प्रति अवलोकन से प्रतीत होता है कि विदयमान तरमीम मौका स्थिति एवं मूल बंटवाड़ा नक्शा के अनुरूप नहीं हो रखी है तथा मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन है कि खसरा संख्या 1828/1750 की रोड़ पर 268 फुट एवं खसरा संख्या 2151/1829 की रोड़ पर 126 फुट



उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आती है,लेकिन लटका नक्शा में गलत तरमीम किए जाने के कारण खसरा संख्या 1828/1750 की रोड़ पर 289 फुट एवं खसरा संख्या 2151/1829 की रोड़ पर 105 फुट आ रही है,जो कि विदयमान तरमीम मौका रिथति से विपरीत हो रखी है। मौका रिपोर्ट मुताबिक उमय पक्षकारान अधिवक्ता भी तरमीम दुरुस्ती करवाने पर सहमत है। इस प्रकार विवादित आराजी की तरमीम दुरुस्त किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है तथा तहसीलदार पचपदरा द्वारा भी अपनी जांच रिपोर्ट में तरमीम दुरुस्त किए जाने की अनुशंघा की गई है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।


6 .उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है,कि प्रार्थी विवादित भूमि की तरमीम दुरुस्ती करवाने का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।


—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम-सिधियों की ढाणी तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1828/1750 व 2151/1829 भूमि की विदयमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार पचपदरा के पत्र क्रमांक 939/25.4.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट में दर्शित प्रस्तावित नक्शा मुताबिक तरमीम दुरुस्ती किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। मौका रिपोर्ट में दर्शित नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है कि तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में नियमानुसार तरमीम दुरुस्त किया जाना सुनिश्चित करावें।



आदेश आज दिनांक 09.5.2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।


(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा


उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा